न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोड़ा (जिला–जालोर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हमणीबानु पुत्री गदेखां जाति मुसलमान निवासी कोरी ध्येवा तहसील बागोड़ा जिला– जालोर।		1. हासमखां पुत्र सकीर जाति मुसलमान निवासी कोरी ध्येवा 2. सफीबानो पुत्री सकीर पत्नी फारूखखां जाति मुसलमान निवासी कोरी ध्येवा हाल वेडिया 3. नैमोबानु पुत्री सकीर पत्नी सतैखां जाति मुसलमान निवासी कोरी ध्येवा हाल छाजाला 4. हुसैन पुत्र हबीबखां उर्फ हका 5. गफुरखां पुत्र इनायत 6. लतीबखां पुत्र इनायत 7. सफी पुत्र इनायत कौम मुसलमान साकिनान कोरी ध्येवा तह. बागोड़ा जिला जालोर। 8. अदरीम पुत्र फौजा 9. मला पुत्र फौजा 10. सकुर पुत्र मुसा 11. हसन पुत्र मुसा जाति सिपाही मुसलमान निवासीगण कोरी ध्येवा 12. जुसुबखां पुत्र अदरीमखां 13. हैदरखां पुत्र नोजेखां 14. हमलेखां पुत्र कादरखां कौम मुसलमान साकिन कोरी ध्येवा 15. भूमिधारी तहसीलदार बागोडा 16. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालोर तहसील

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री गोरधनराम विश्नोई अधिवक्ता वादीया
श्री छैलपुरी गोस्वामी अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

मुकदमा संख्या :– 39/2018 दिनांक : 25/02/2022

–: निर्णय :–

दावा बाबत् खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उक्त वाद का विवरण विश्लेषण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 स्व. हकीमखां उर्फ हका पुत्र धना एक ही पिता की जायन्दा सन्तान है। वादीया स्व. हकीमखां उर्फ हका की पडपौत्री है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 स्व. हकीमखां उर्फ हका पुत्र धना के कायम मुकाम वारिसान होने से स्व. हकीमखां उर्फ हका की सम्पत्ति में बराबर हक रखते है। स्व. इनायत पुत्र हकीमखां फौत हो जाने से उनके कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 5 से 7 है। सरहद मौजा कोरी ध्वेचा में आराजी गत खसरा नंबर 433 रकबा 121 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय, खसरा नंबर 432 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी कुल खसरे 2 कुल रकबा 121 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी फौजा पुत्र अमीन 1/2 हिस्सा, हकीमखां पुत्र धनजी, सिकर, इनायत, हुसैन पिसरान हकीमखां 1/2 हिस्सा कौम मुसलमान साकिन देह खातेदार नामांतरकरण संख्या 184 द्वारा दर्ज की गई तथा नामांतरकरण संख्या 328 दिनांक 31.10.1987 के अनुसार फौजा पुत्र अमीन के बजाय मुसा, मला, अदरीम पिसरान फौजा के नाम दर्ज किया गया एवं जरिए नामांतरकरण संख्या 334 दिनांक 30.05.1989 के अनुसार सिकर, इनायत, हुसैन पिसरान हकीमखां 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। सिकर के जीवनकाल में उसका पुत्र मदैखां फौत हो चुका था। वादीया मदैखां की एकमात्र जायन्दा पुत्री है, जिसको जन्म से सिकर की सम्पत्ति में सारे हक अधिकार प्राप्त हो चुके थे। कालान्तर में इस क्षेत्र में रिसेटलमेंट हुआ। रिसेटलमेंट के दौरान उक्त गत खसरा नंबरान के क्रमशः नए खसरा नंबर 620 रकबा 5.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 626 रकबा 3.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 627 रकबा 10.26 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल खसरे 3 कुल रकबा 19.26 हैक्टेयर मौजा कोरी ध्वेचा सृजित कर उक्त खातेदारी वादीया एवं प्रतिवादी के पूर्वज मुसा, मला, अदरीम पिसरान फौजा हिस्सा 1/2 कौम सिपाई, हकीमखां पुत्र धनजी, सिकर,

सहायक कलेक्टर
जालोर

Scanned by CamScanner

इनायत, हुसैन पिसरान हकीमखां सिंधी 1/2 हिस्सा कौम मुसलमान साकिन देह खातेदार के रूप में द्वितीय मिसल बन्दोबस्त में दर्ज हुई। जमाबंदी सवंत् 2049 से 2052 में खातेदार हकीमखां पुत्र धनजी के बजाए सिकर इनायत, हुसैन का नाम रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है, शेष बदस्तूर है। उक्त वाद में सिकर पुत्र हकीमखां के 1/6 हिस्से की आराजी विवादित होने से वाद में विवादित आराजी से संबोधित किया गया है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से 14 के हक हिस्से को चुनौती नहीं दी गई है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 4 से 14 वादग्रस्त आराजी के सह खातेदार होने से औपचारिक पक्षकार बनाए गए है। वादीया की दादी नुरीबानो 40 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी थी, जिसके कायम मुकाम वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 तक की पैतृक पुश्तैनी भूमि है तथा जन्म से ही वादीया के पिता मदैखां एवं उसके बाद उसकी एकमात्र जायन्दा पुत्री वादीया का उक्त आराजी पर हक व अधिकार बन गया था। स्व. सिकर पुत्र हकीमखां उर्फ हका के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ–साथ वादीया का नाम नियमानुसार दर्ज होना चाहिए था, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने पटवारी हल्का जैसावास से मिलावट कर केवल अपने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम से उक्त स्व. सिकर पुत्र हकीमखां उर्फ हका के 1/6 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी जरिए नामांतरकरण संख्या 735 दिनांक 05.10.2017 के स्वीकृत अनुसार दर्ज करवा दी गई। वादीया को उसके हक व अधिकार से वंचित कर दिया गया। वादीया स्व. मदैखां की जायन्दा पुत्री है। मदैखां, सिकर के जीवनकाल में फौत हो चुका था। जबकि नियमानुसार वादीया का नाम प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ बराबर–बराबर खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। उक्त म्यूटेशन वादीया के हक हिस्से तक गलत, बेअसर व शून्य है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी स्व. सिकर पुत्र हकीमखां उर्फ हका की सम्पूर्ण आराजी 19.26 में से 1/6 हिस्सा = 3.21 हैक्टेयर की आराजी वादीया को पुश्तैनी भूमि है तथा उक्त आराजी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का बहिस्सा बराबर– बराबर खातेदारी हक व अधिकार उत्पन्न हो चुका था। उक्त 3.21 हैक्टेयर की आराजी में से वादीया का 1/4 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर हिस्सा है अर्थात सम्पूर्ण आराजी 19.26 हैक्ट. में वादीया का 1/24 हिस्सा 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24

सहायक कलेक्टर
जायोरा

Scanned by CamScanner

हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर हिस्सा आता है तथा उक्त हिस्से अनुसार वादीया का वादग्रस्त आराजी के मौके पर कब्जा काश्त निर्बाध रूप से स्व. सिकर पुत्र हकीमखां उर्फ हका के फौत होने के बाद से आज दिन तक चला आ रहा है, जिससे वादीया वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्सा = 3.21 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा= 0.8025 हैक्टेयर अर्थात सम्पूर्ण आराजी 19.26 हैक्टेयर में से 1/24 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर की खातेदारी पाने की अधिकारी है, जिस हेतु वाद बाबत् खातेदारी हक घोषणा का पेश किया वादीया को उक्त वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से पर ऋण लेने को आवश्यकता होने से दिनांक 07.10.2018 को पटवारी हल्का के पास जमाबंदी लेने गई तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त आराजी में आपका नाम नहीं है, तो तहसील कार्यालय जाकर दिनांक 08.10.2018 को नकलें प्राप्त की, तब वादीया को अपना नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई, जिसके बाद वादीया प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पास गई व अपने हिस्से को आराजी अपने नाम से करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि को बेचान, हस्तांतरण कर कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी, जिस हेतु दावा बाबत् खातेदारी घोषणा का पेश करना जरूरी हुआ है।प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीया को उसके हिस्से को आराजी में जबरदस्ती कब्जा काश्त से बेदखल करने तथा गलत व अवैध व म्यूटेशन की प्रविष्टी की आड में वादग्रस्त भूमि का बेचान व हस्तांतरण करने की धमकी दी, जिस हेतु वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। वादकारण दिनांक 05.10.2017 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादीया की पैतृक पुश्तैनी भूमि में वादीया के नाम भी खातेदारी नामांतरकरण संख्या 735 में दर्ज नहीं करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम गलत दर्ज करवा दी। उसके बाद दिनांक 07.10.2018 को पैदा हुआ जब वादीया ने पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल मांगी तो पटवारी हल्का ने वादीया का नाम वादग्रस्त आराजी में नहीं होना बताया। उसके बाद वादीया द्वारा दिनांक 08.10.2018 को तहसील कार्यालय बागोडा से नकलें व पटवारी हल्का से दिनांक 09.10.2018 को नकलें प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी हुई। उसके बाद वादकारण निरन्तर जारी है। इस पर प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने इकबालीया जबाब दावा पेश कर जबाब में वादीया के वाद को खातेदारी हक घोषित किया जाना स्वीकार किया एवं जबाब दावे के साथ राजिनामा भी प्रस्तुत कर राजिनामे अनुसार वाद को डिक्री होने पर सहमति पेश की गयी है। वकिल वादी ने प्रतिवादी सं. 4 से 14 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है जिस पर उन पक्षकारो को तर्क

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया जा चुका है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रकार्ड एवं जवाब दावा मय राजीनाम का अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी वादीया हमणी पुत्री मदैखां की एक मात्र जायंदा पुत्री है एवं मदैखां के उक्त पुत्री के अलावा कोई वारीसान जिवीत नही होने से मदैखां की सम्पूर्ण पुस्तैनी आराजी में हमणी का खातेदारी हक वाई वर्थ वनता है।

अतः सरहद मौजा कोरी ध्वेचा में स्थित नए खसरा नंवर 620 रकवा 5.48 हैक्टेयर, खसरा नंवर 626 रकवा 3.62 हैक्टेयर, खसरा नंवर 627 रकवा 10.26 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल खसरे 3 कुल रकवा 19.26 हैक्टेयर में से वादीया का 1/24 हिस्सा अर्थात् 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर या सम्पूर्ण आराजी 19.26 हैक्टेयर में से (पूर्व खातेदार सिकर पुत्र हकीमखां उर्फ हका) के 1/6 हिस्सा = 3.21 हैक्टेयर में से वादीया का 1/4 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा = 0.8025 हैक्टेयर की खातेदारी घोषित की जाती है। शेष सह खातेदारान का हिस्सा विवादित नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में यथावत रखा जाता है।

इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जारी की जावें कि घोषणा खातेदारी अनुसार वादीया की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कब्जे–काश्त में दखलंदाजी नहीं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें। खातेदारी घोषणा की डिक्री अनुसार वादीया के नाम से खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार बागोड़ा को तहरीर जारी हो एवं राजीनामा अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफतर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mridula Shekhawat
Date: 2020.06.08 14:16:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: